

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 76/2021/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांक : 12.02.2021

अन्तर्गत धारा : अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

राजेन्द्र कुमार आत्मज बाबूलाल जाति महाजन निवासी खटकड़, तहसील एवं जिला बून्दी

....अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी
2. प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़, तहसील एवं जिला बून्दी
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

....रेस्पोडेन्ट्स


उपस्थित : श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक -अपीलार्थी
पेरोकार सरकार -रेस्पो0

:: निर्णय ::


दिनांक 27.06.2025

अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा आदेश संख्या 101 दिनांक 01.09.2016 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।


1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निगरानी/एलआर/177/2020/बून्दी राजेन्द्र कुमार बनाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2023 से प्रस्तुत प्रकरण में विचाराधीन अपील व स्थगन प्रार्थना-पत्र का उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 2 माह में विधि अनुसार अनिवार्य रूप से निस्तारण करने हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को निर्देशित दिये गये। विचाराधीन प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से इस न्यायालय को प्रदत्त होने से उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर से प्राप्त होने के बाद दर्ज रजिस्टर की गई।


संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा


2. प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी ने आदेश संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ को खसरा सं० 148 रकबा 102 बीघा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे निरस्त करके भूमि खसरा सं० 219 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं० 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं० 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा ग्राम खटकड़ का आदेश संख्या 101 दिनांक 01.09.2016 से आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.09.2016 वस्तुस्थिति, विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आदेश क्रमांक 3 दिनांक 10.03.2015 द्वारा आवंटित 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि विवाद रहित है, जिसके संबंध में किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है तथा बिना कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया। आदेश सं० 01.09.2016 से प्रश्नगत आराजी आवंटित करते समय मौका की रिपोर्ट नहीं ली गई और न ही कब्जे बाबत कोई जांच की गई। आवंटन से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी का खसरा सं० 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खटकड़ पर गत 35 वर्षों से निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजी की कृषि योग्य बनाया है तथा उक्त आराजी अपीलार्थी के भूमिहीन होने से उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। अपीलार्थी प्रत्येक राजस्व शिविर में उक्त आराजी को आवंटन/नियमन करवाने हेतु आवेदन करता है। अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरुद्ध हजारीलाल, बिरधीलाल माधोलाल पि० हरदेव मेहर आदि निवासीगण की ओर से इसी न्यायालय में प्रस्तुत अपील सं० 88/2017 के निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भूमि खसरा सं० 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को पूर्व में आवंटित भूमि होना तथा इसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील में स्थगन आदेश जारी होना मानते हुए भूमि खसरा सं० 226 के बाबत आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैध हैं। अपीलाधीन आदेश में से 1/3 हिस्से से अधिक भूमि का आवंटन पूर्व में निरस्त कर दिये जाने के कारण सामुदायिक चिकित्सा भवन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं रही है तथा अब आवंटन आदेश का क्रियान्वयन संभव नहीं हो रहा है। आवंटन आदेश की शर्तों के मुताबिक 6 माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, अभी तक आवंटित भूमि का कब्जा भी आवंटी को नहीं सम्भलाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर भूमि खसरा सं० 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम खटकड़ की सीमा तक आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।


संभावित असुबुद्ध
कोटा संमान, कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रस्तुत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश सं0 01.09.2016 से प्रश्नगत आराजी आवंटित करते समय मौका की रिपोर्ट नहीं ली गई और न ही कब्जे बाबत कोई जांच की गई। आवंटन से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी का खसरा सं0 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खटकड़ पर गत 35 वर्षों से निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजी की कृषि योग्य बनाया है तथा उक्त आराजी अपीलार्थी के भूमिहीन होने से उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। अपीलार्थी प्रत्येक राजस्व शिविर में उक्त आराजी को आवंटन/नियमन करवाने हेतु आवेदन करता है। अपीलार्थी आवंटन आदेश के विरुद्ध हजारीलाल, बिरधीलाल माधोलाल पि0 हरदेव मेहर आदि निवासीगण की ओर से इसी न्यायालय में प्रस्तुत अपील सं0 88/2017 के निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भूमि खसरा सं0 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को पूर्व में आवंटित भूमि होना तथा इसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील में स्थगन आदेश जारी होना मानते हुए भूमि खसरा सं0 226 के बाबत आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु दूसरी भूमि दे दी गई है जो उनके खाते में दर्ज हो चुकी है। पूर्व की आराजी भी आवंटित चली आ रही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर भूमि खसरा सं0 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम खटकड़ की सीमा तक आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।
5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी का आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 न्यायोचित है। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अपने पूर्व आवंटन आदेश संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ को ग्राम खटकड़ के खसरा सं 148 रकबा 102 बीघा 01 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी किंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी द्वारा उक्त आवंटित भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं होना बताये जाने पर आवंटन आदेश दिनांक 10.03.2016 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1820 दिनांक 27.07.2016 अनुसार प्रश्नगत आराजी आदेश दिनांक 01.09.2016 से आवंटित की गई है। अपीलार्थी को उक्त राजकीय भूमि पर कोई अधिकार निहित नहीं है, अपीलार्थी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।



 सहायक अवरुक्त
 कोटा समान, कोटा

6. प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर आध्योपांत अवलोकन कर बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी का खसरा सं० 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खटकड़ पर गत 35 वर्षों से निरंतर काबिज काशत चला आ रहा है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजी की कृषि योग्य बनाया है तथा अपीलार्थी प्रत्येक राजस्व शिविर में उक्त आराजी को आवंटन/नियमन करवाने हेतु आवेदन करता है। अपीलार्थीन आवंटन आदेश के विरुद्ध हजारीलाल, बिरधीलाल माधोलाल पि० हरदेव मेहर आदि निवासीगण की ओर से इसी न्यायालय में प्रस्तुत अपील सं० 88/2017 के निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भूमि खसरा सं० 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को पूर्व में आवंटित भूमि होना तथा इसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील में स्थगन आदेश जारी होना मानते हुए भूमि खसरा सं० 226 के बाबत आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अपने पूर्व आवंटन आदेश संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ को ग्राम खटकड़ के खसरा सं 148 रकबा 102 बीघा 01 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी किंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी द्वारा उक्त आवंटित भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं होना बताये जाने पर आवंटन आदेश दिनांक 10.03.2016 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1820 दिनांक 27.07.2016 अनुसार प्रश्नगत आराजी आदेश दिनांक 01.09.2016 से आवंटित की गई है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 01.09.2016 से आवंटित खसरा सं० 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि आवंटित संपूर्ण आराजी कुल रकबा 11.03 बीघा सिवायचक किस्म बारानी-3 होना अंकित किया गया है। भूमि पर कोई विवाद नहीं होना तथा उक्त आवंटित भूमि में से ही वादग्रस्त आराजी खसरा सं० 225 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा पर राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल महाजन का अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से उक्तानुसार प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार से हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि अपीलार्थीन आवंटन आदेश के विरुद्ध हजारीलाल, बिरधीलाल माधोलाल पि० हरदेव मेहर आदि निवासीगण की ओर से इसी न्यायालय (क्षेत्राधिकार से पूर्व राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2017) में प्रस्तुत अपील सं० 88/2017 के निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भूमि खसरा सं० 226 रकबा


 क्षेत्राधिकार अजमेर
 कोटा संमान, कोटा

4 बीघा 3 बिस्वा को पूर्व में आवंटित भूमि होना तथा इसके बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील में स्थगन आदेश जारी होना मानते हुए भूमि खसरा सं0 226 के बाबत आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। चूंकि राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.12.2017 से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश होने से तदनुसार उक्त स्थगन आदेश के आवंटित आराजी खसरा सं0 226 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा पर प्रभावी होने से उक्त आराजी के हद तक आवंटन निरस्त करने का निर्णय दिनांक 06.12.2017 पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा अपील मीमों में वर्णित प्रश्नगत आराजी के संबंध में अतिक्रमी की हैसियत से राजकीय भूमि पर काबिज होने से कोई हित निहित नहीं होना प्रकट होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2016 में कोई हस्तक्षेप की गुजांइश प्रकट नहीं होता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह प्रोखावत)
संभारणीय आयुक्त, कोटा
कोटा